**भारत सरकार**

**पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या. 2007**

**28.07.2014 को उत्तर दिए जाने के लिए**

**गुजरात और राजस्थान में पेयजल की समस्या**

2007. श्री प्रवीण राष्ट्रपालः

क्या पेयजल और स्वच्छता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्र सरकार गुजरात और राजस्थान में जनता और पशुओं के लिए पेयजल की उपलब्धता संबंधी गंभीर स्थिति के बारे में अवगत है; और

(ख) पूरे देश में पेयजल की उपलब्धता के लिए क्या विशेष व्यवस्था की गई है?

**उत्तर**

**राज्य मंत्री, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय**

**(श्री उपेन्द्र कुशवाहा)**

(क) राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्लूपी), जो कि मंत्रालय का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, के अन्तर्गत मानदण्ड यह है कि प्रत्येक ग्रामीण व्यक्ति को स्वच्छ पेयजल का न्यूनतम 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन उपलब्ध कराया जाए जिसमें पीने, खाना-बनाने, नहाने-धोने और पशुओं आदि के लिए जल की आवश्यकता सम्मिलित है। तदनुसार, 01.04.2014 की स्थिति के अनुसार, गुजरात राज्य की 34,415 ग्रामीण बसावटों में से 33,829 बसावटें (98.30%) पूरी तरह से कवर की गई हैं अर्थात् स्वच्छ पेयजल की कम से कम 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की उपलब्धता सुनिश्चित है। इसी प्रकार से, राज्यों द्वारा मंत्रालय की एकीकृत सूचना प्रबन्धन प्रणाली (आईएमआईएस) में दी गई सूचना के अनुसार, राजस्थान में, 1,21,133 ग्रामीण बसावटों में से 69,085 (57.03%) बसावटें पूरी तरह से कवर की गई हैं, जबकि शेष आंशिक रूप से कवर की गई हैं अथवा गुणवत्ता से प्रभावित हैं।

(ख) ग्रामीण जल आपूर्ति राज्य का विषय है। मंत्रालय देश के ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप द्वारा पेयजल आपूर्ति स्कीमों सहित पेयजल की आपूर्ति संबंधी सुविधा उपलब्ध कराने हेतु राज्यों द्वारा किए जा रहे प्रयासों में उनकी सहायता करने हेतु केन्द्र द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्लूपी) के अन्तर्गत राज्यों को तकनीकी एवं वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर उनकी सहायता करता है। एनआरडीडब्लूपी के अन्तर्गत और अधिक संख्या में बसावटों को पाइप द्वारा पेयजल आपूर्ति की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु पेयजल आपूर्ति स्कीमों का चयन करने, इस संबंध में योजना बनाने एवं इनका कार्यान्वयन करने की शक्तियां राज्य सरकारों के पास होती हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में मंत्रालय का ध्यान ग्रामीण क्षेत्रों में और अधिक परिवारों को पाइप द्वारा जलापूर्ति देने पर केन्द्रित है। राज्यों के साथ वार्षिक कार्य योजना बैठकों के दौरान और साथ ही वीडियो कान्फ्रेन्सों के जरिए समीक्षा बैठकों और मंत्रालय के अधिकारियों के फील्ड दौरों के दौरान राज्यों से यह आग्रह किया जाता है कि वे आंशिक रूप से कवर की गई बसावटों और गुणवत्ता प्रभावित बसावटों को प्राथमिकता के आधार पर कवर करें।

*********